

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह (RTS)

मिसल नम्बर :- 88/2019

सरकार

बनाम

राजाराम पुत्र मुकेश कुमार जाति माली निवासी करमाड़ी तन् पपुरना तहसील
खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.....गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 03-10-2019

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का पपुरना के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि गैर सायल ने राजस्व ग्राम पपुरना स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2373 रकबा 1.06 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 800 वर्ग मीटर पर बाड़ व खसरा नम्बर 2378 रकबा 7.23 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 250 वर्ग मीटर पर छड़ी लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। गैर सायल का नोटिस सम्यक रूप से बाद तामिल प्राप्त बावजूद इसके अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का पपुरना की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल ने राजस्व ग्राम पपुरना स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2373 रकबा 1.06 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 800 वर्ग मीटर पर बाड़ व खसरा नम्बर 2378 रकबा 7.23 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 250 वर्ग मीटर पर छड़ी लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। अतः पटवारी हल्का पपुरना की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।



तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुंझुनूं (राज.)

—: आदेश :-

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का पपुरना के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम पपुरना स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2373 रकबा 1.06 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 250 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 2378 रकबा 7.23 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 800 वर्ग मीटर पर से वेदखल किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का पपुरना से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की प्रश्नगत भूमि पर से भौतिक मौका वेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03-10-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
तहसीलदार खेतड़ी
जिला दुन्दुनु (राज)